



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 6000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 6000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0- 162/94 धारा 379/411 भादवि व 3/57/70 खनिज अधि0 के अभियुक्त शिव प्रसाद पुत्र मुल्लू प्रसाद निवासी खुटला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को **1500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिन्दवारी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0- 31/02 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त अमरजीत सिंह उर्फ गब्बर पुत्र भारत सिंह निवासी थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को **1500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0- 671/22 धारा 279/338 भादवि के अभियुक्त अवधेश सिंह पुत्र ब्रजभान सिंह निवासी बसहरी थाना मटौन्ध जनपद बांदा को **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
4. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0- 272/17 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त इन्द्र कुमार यादव पुत्र गया प्रसाद यादव निवासी अनौरा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।